



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने व आपराधिक धमकी देने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 331/2023 धारा-341,307,504, 506,353, 332,189, 417 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय ए०डी०जे० प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रामदास सविता (वकील) पुत्र स्व० रामस्वरूप नि० गौरादेवी नई बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ए०डी०जी०सी० श्री
राजेश कुमार तिवारी



विवेचक-
उ०नि० सुरेन्द्र
प्रताप यादव



पैरोकार- थाना
कोतवाली नगर
का० बिजमान सिंह